

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-1/गोप्र.) विभाग,

क्रमांक प. 13(51)का./क-1/गोप्र./2008

जयपुर, दिनांक 20 AUG 2014

परिपत्र

कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 22.02.13 की अनुपालना में राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को भी उनके वार्षिक कार्य मूल्याकांन प्रतिवेदनों का अवलोकन कराया जाता है। अवलोकन के पश्चात संबंधित अधिकारी उसके प्रतिवेदन में की गई ग्रेडिंग/मूल्याकांन से सन्तुष्ट नहीं है तो वह अपना अभ्यावेदन 15 दिवस में प्रस्तुत कर सकता है। अभ्यावेदन पर विभागाध्यक्ष/काउर नियंत्रण अधिकारी द्वारा लिये गये निर्णय से सन्तुष्ट नहीं होने पर संबंधित अधिकारी अपने प्रकरण को अपीलीय बोर्ड में रखने हेतु अपील कर सकता है।

आर.ए.एस. अधिकारियों के ऐसे प्रकरणों को निस्तारण हेतु निम्नानुसार अपीलीय बोर्ड का गठन किया जाता है:-

1.	मुख्य सचिव	अध्यक्ष
2.	अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव (मुख्य सचिव महोदय द्वारा नामांकित)	सदस्य
3.	प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, कार्मिक विभाग	संयोजक

3
१५/८/१५
(आलाक गुप्ता)
शासन सचिव
कार्मिक विभाग

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1.प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय।
- 2.प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
- 3.वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव।
- 4.समस्त अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/उप शासन सचिव
- 5.समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव मंत्री/राज्य मंत्री/संसदीय सचिव
- 6.समस्त संभागीय आयुक्त।
- 7.समस्त विभागाध्यक्ष (जिला कलकटरों सहित)
- 8.प्रशासनिक सुधार (कोर्डिफिकेशन) विभाग अनुभाग-7 कापियों सहित।
- 9.एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर, कार्मिक (कम्प्यूटर) विभाग।
- 10.रक्षी पत्रावली।


(अर्चना सिंह)
संयुक्त शासन सचिव